

Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951


Election to the Legislative Assembly of **Rajasthan** State from the **Nohar (010)** Assembly constituency.

In puesday of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Shri **AMIT CHACHAN** (Name) **WARD NO. 21, STATION ROAD, BIHANI MARG, NOHAR** (Address) sponsored by **INDIAN NATIONAL CONGRESS** (name of the recognised/registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place :Hanumangarh

Dated: 03-12-2023


(Satyanarayan)

Returning Officer (SDM)

Assembly Constituency (010) Nohar

RETURNING OFFICER

ASSEMBLY CONSTITUENCY 010-NOHAR

SUBDIVISIONAL OFFICER AND SUBDIVISIONAL
MAGISTRATE NOHAR

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

नोहर (010) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि -

श्री अमित चाचाण (नाम)


वार्ड नं०-21, स्टेशन रोड, बिहाणी मार्ग नोहर (पता)

जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त/ रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान :- हनुमानगढ

दिनांक: 03.12.2023


(सत्यनारायण)
(सत्यनारायण RAS)
निर्वाचन अधिकारी (एसडीएम)
रिटोर्निंग अधिकारी
विधविभाग, विधान क्षेत्र (010) नोहर, नोहर
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नोहर